

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-947/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मेट्रिक्स लेवल स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पै बेण्ड एसीपी/पे-मेट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1.	अनूप सिंह तँवर	जयपुर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
2.	महेश कुमार गौचर	बांरा	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
3.	मनोज ऐरवाल	बांरा	13.08.09	13.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
4.	कमलेश मीणा	बांरा	12.08.09	12.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
5.	गौरी शंकर माली	रतनगढ़ (चुरु)	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
6.	प्रकाश वीर स्वामी	रतनगढ़ (चुरु)	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
7.	रमाकान्त मित्तल	रतनगढ़ (चुरु)	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
8.	पारसमल	जोधपुर	14.07.90	14.07.18 27 वर्ष	L-13	L-14
9.	महेन्द्र कुमार भोई	डूंगरपुर	12.08.09	12.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
10.	हेमन्त कुमार यादव	डूंगरपुर	12.08.09	12.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12

क्रम संख्या 8 पर अंकित कार्मिक पारसमल की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण कार्मिक को 27 वर्षिय सेवा अवधि का लाभ 14.07.2018 को देय होगा।

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागु नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक: 13-02-19

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-947/2019/ 214  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना, लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड जयपुर।
3. अधीक्षक, क.रा.बी. चिकित्सालय, जोधपुर।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर